

'e-DAR' पोर्टल

प्रलिस के लिये:

'e-DAR' (ई-वसितुत दुर्घटना रिपोर्ट), सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा ।

मेन्स के लिये:

सड़क सुरक्षा, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'e-DAR' (ई-वसितुत दुर्घटना रिपोर्ट) नामक पोर्टल वकिसति कया है ।

- यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना के मुआवज़े दावों को तेज़ी से नपिटाने में मदद करता है ताक पीड़ित परिवारों को राहत मलि सके ।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति:

- सड़क सुरक्षा एक प्रमुख वकिसातमक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चति का वषिय है, जो दुनिया भर में मौत एवं चोट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है ।
- वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के मुताबकि, सड़क दुर्घटना के कारण वैश्विक स्तर पर 1.35 मलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, जसिमें से 90% से अधिक लोग वकिसाशील देशों से और 11% अकेले भारत से होते हैं ।
- भारत में वर्ष 2019 में दुर्घटना के कारण हुई मौतों की संख्या 1,51,113 थी ।

'e-DAR' पोर्टल के लाभ:

- **एकीकृत डेटाबेस:** आसान पहुँच के लिये डिजिटलीकृत वसितुत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) को पोर्टल पर अपलोड कया जाएगा ।
 - वेब पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) से जोड़ा जाएगा ।
 - एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) से 90% से अधिक डेटासेट को एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे ही 'e-DAR' पोर्टल में पहुँचा दया जाएगा ।
 - पुलसि, सड़क प्राधकिरण, अस्पताल आदि जैसे हतिधारकों को 'e-DAR' फॉर्म के लिये बहुत कम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है ।
 - इस प्रकार, 'e-DAR' पोर्टल iRAD का वसितार एवं ई-संस्करण होगा ।
- **फर्जी दावों से नपिटना:** DAR पोर्टल दुर्घटना में शामिल वाहनों, दुर्घटना की तारीख और [प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या](#) की व्यापक तलाशी द्वारा फर्जी दावों के खलिफ जाँच करेगा ।
- **क्रॉस-प्लेटफॉर्म लकिज:** पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टलों से जोड़ा जाएगा जसिसे वाहन या ड्राइवगि लाइसेंस संबंधी वविरण तथा वाहनों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी ।
- **दुर्घटना हॉटस्पॉट की पहचान करना:** दुर्घटना हॉटस्पॉट की भी पहचान की जाएगी ताक इन हॉटस्पॉट पर दुर्घटनाओं से बचने हेतु समाधान प्राप्त कया जा सके ।

सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

- **वैश्विक स्तर:**
 - **सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015):**
 - ब्राजील में आयोजति सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक [उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा](#) पर हस्ताक्षर कयि गए । भारत

घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- देशों ने **सतत विकास लक्ष्य 3.6** यानी वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों की संख्या में कमी लाने की योजना बनाई है।
- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह:**
 - यह प्रत्येक दो वर्ष में मनाया जाता है। इसके छठे संस्करण (17 से 23 मई, 2021 तक आयोजित) ने सड़क सुरक्षा के लिये मज़बूत नेतृत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):**
 - यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने हेतु समर्पित है।

■ भारत:

- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:**
 - यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, जुवेनाइल ड्राइविंग आदि के लिये दंड में वृद्धि करता है।
 - यह एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
 - अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंजूरी प्रदान करता है, जिससे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापति किया जाना है।
 - यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।
- **सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007:**
 - यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के वनियमन से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी देयता को सीमित करता है और उन्हें वितरित किये गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये देयता का निर्धारण किया जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों के कारण हुआ हो।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग नयित्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:**
 - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नयित्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नयित्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है तथा साथ ही उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान करता है।
- **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:**
 - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित प्रावधान करता है।

स्रोत: द हट्टू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/e-dar-portal>

